



महोबा पुलिस **सर्किल नगर थाना खन्ना**

दिनांक- 18.10.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 903/26

थाना खन्ना पुलिस टीम ने 04 वारण्टी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद में वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकांत गोंड के पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष थाना खन्ना के नेतृत्व में थाना खन्ना पुलिस द्वारा अलग-अलग मामलों में 04 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

प्रथम कार्यवाही:

आज दिनांक 18.10.2026 को वरिष्ठ उपनिरीक्षक श्री बृजेश चतुर्वेदी मय हमराह कांस्टेबल राहुल कुमार द्वारा माननीय न्यायालय सिविल जज (सीनियर डिवीजन), महोबा से जारी गिरफ्तारी अधिपत्र के अनुपालन में मु0अ0सं0 149/2023, धारा 147/323/325/504/506 भादवि से संबंधित वारण्टी अभियुक्त लालजी पुत्र सुखदेव यादव, उम्र करीब 34 वर्ष एवं घनश्याम पुत्र सुखदेव यादव, उम्र करीब 52 वर्ष, निवासीगण ग्राम खन्ना, थाना खन्ना, जनपद महोबा को गिरफ्तार किया गया।

द्वितीय कार्यवाही:

इसी क्रम में आज दिनांक 18.10.2026 को चौकी ग्योड़ी प्रभारी उपनिरीक्षक श्री हरिश्चन्द्र पाल मय हमराह हेड कांस्टेबल लोकेश कुमार एवं कांस्टेबल शीलू यादव द्वारा माननीय न्यायालय से जारी गिरफ्तारी अधिपत्र के अनुपालन में दो अन्य वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इनमें मु0अ0सं0 1032/2011, धारा 279/338 भादवि से संबंधित वंशगोपाल उर्फ दादी पुत्र स्वर्गीय रामगोपाल, उम्र करीब 35 वर्ष को ग्राम ग्योड़ी से तथा मु0अ0सं0 143/2019, धारा 60 आबकारी अधिनियम से संबंधित शिववीर सिंह उर्फ गुड्डू पुत्र स्वर्गीय सूरज सिंह, उम्र करीब 52 वर्ष को ग्राम ग्योड़ी से ही गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए चारों वारण्टी अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:

1. लालजी पुत्र सुखदेव यादव, उम्र करीब 34 वर्ष, निवासी ग्राम खन्ना, थाना खन्ना,
2. घनश्याम पुत्र सुखदेव यादव, उम्र करीब 52 वर्ष, निवासी ग्राम खन्ना, थाना खन्ना, जनपद महोबा।
3. वंशगोपाल उर्फ दादी पुत्र स्वर्गीय रामगोपाल, उम्र करीब 35 वर्ष, निवासी ग्राम ग्योड़ी, थाना खन्ना, जनपद महोबा।
4. शिववीर सिंह उर्फ गुड्डू पुत्र स्वर्गीय सूरज सिंह, उम्र करीब 52 वर्ष, निवासी ग्राम ग्योड़ी, थाना खन्ना, महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

1. वरिष्ठ उ0नि0 बृजेश चतुर्वेदी
2. उ0नि0 श्री हरिश्चन्द्र पाल
3. हे0 कां0 लोकेश कुमार
4. का0 राहुल कुमार
5. का0 शीलू यादव





महोबा पुलिस

सर्किल चरखारी थाना खरेला

दिनांक- 18.10.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 904/26

थाना खरेला की पुलिस टीम ने 02 वारण्टी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद में वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह के नेतृत्व एवं क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना खरेला श्री नन्हेलाल के नेतृत्व में थाना खरेला पुलिस टीम द्वारा अलग-अलग प्रकरणों में 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

प्रथम कार्यवाही:

उ0नि0 तबरेज आलम मय हमराह कांस्टेबल अनुराग सचान द्वारा माननीय न्यायालय सीजेएम, महोबा से संबंधित मु0स0 603327/13, धारा 279/337/338 भादवि, अ0सं0 946/13 के मामले में जारी गिरफ्तारी वारंट के अनुपालन में वारण्टी अभियुक्त रामखिलावन पुत्र भभूति, उम्र करीब 46 वर्ष, निवासी ग्राम शिवहार, थाना खरेला, जनपद महोबा को गिरफ्तार किया गया।

द्वितीय कार्यवाही:

इसी क्रम में उ0नि0 रामचन्द्र यादव के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा माननीय न्यायालय सीजेएम, महोबा से परिवाद संख्या 3606/2023, धारा 323/504/506 भादवि के संबंध में जारी गिरफ्तारी वारंट के अनुपालन में वारण्टी अभियुक्त रमेश पुत्र मूलचन्द्र बसोर, उम्र करीब 46 वर्ष, निवासी ग्राम पाठा, थाना खरेला, जनपद महोबा को गिरफ्तार किया गया। दोनों गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:

1. रामखिलावन पुत्र भभूति, उम्र करीब 46 वर्ष, निवासी ग्राम शिवहार, थाना खरेला, जनपद महोबा। संबंधित मामला: मु0स0 603327/13, धारा 279/337/338 भादवि।
2. रमेश पुत्र मूलचन्द्र बसोर, उम्र करीब 46 वर्ष, निवासी ग्राम पाठा, थाना खरेला, जनपद महोबा। संबंधित परिवाद संख्या 3606/2023, धारा 323/504/506 भादवि।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

1. उ0नि0 तबरेज आलम
2. उ0नि0 रामचन्द्र यादव
3. उ0नि0 शैलेश कुमार पाण्डेय
4. का0 नवनीत सोनकर
5. का0 अनुराग सचान





दिनांक- 18.10.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 906/26

महोबा पुलिस

सर्किल नगर - थाना कोतवाली नगर

थाना कोतवाली नगर महोबा की पुलिस टीम ने 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार...

पुलिस अधीक्षक महोबा शशांक सिंह के निर्देशन में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं अपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 18.10.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकान्त गोंड के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित 30नि0 शाहजहाँ अली के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त मुकेश साहू पुत्र स्व0 रामसहाय उम्र 29 वर्ष निवासी कांशीराम कालोनी एसपी आवास के पीछे वार्ड नं0 04 बजरंग वार्ड थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा सम्बन्धित क्रिमिनल केश नं0 7033/2022 धारा 138 एनआई एक्ट में मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारण्ट के अनुपालन में अभियुक्त उपरोक्त को कांशीराम कालोनी थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त -

मुकेश साहू पुत्र स्व0 रामसहाय उम्र 29 वर्ष निवासी कांशीराम कालोनी एसपी आवास के पीछे वार्ड नं0 04 बजरंग वार्ड थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. 30नि0 शाहजहाँ अली
2. कां0 रामचन्द्र





महोबा पुलिस

दिनांक- 18.10.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 907/26

मिशन शक्ति फेज-6.0 के तहत महोबा पुलिस की पहल, लघु फिल्मों के माध्यम से बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति के प्रति बच्चों एवं ग्रामीणों को किया गया जागरूक...

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में मिशन शक्ति फेज-6.0 के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान, शिक्षा एवं स्वावलंबन को बढ़ावा देने तथा बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों की रोकथाम के उद्देश्य से थाना एएचटी एवं जनपद के समस्त थानों की मिशन शक्ति टीमों द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

इसी क्रम में आज दिनांक 18.10.2026 को थाना एएचटी द्वारा चाइल्ड लाइन, वन स्टॉप सेंटर, महिला कल्याण विभाग, सोसाइटी फॉर प्रगति भारत एनजीओ तथा संबंधित थानों की स्थानीय पुलिस के समन्वय से थाना चरखारी क्षेत्र के ग्राम छोटा रमना एवं ग्राम गोरखा, थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के बड़ी चन्द्रिका माता मंदिर परिसर तथा थाना खन्ना क्षेत्र की सब्जी मंडी महोबा में नुक्कड़ सभाओं एवं जागरूकता सम्मेलनों का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम के दौरान महिलाओं, बालिकाओं, युवतियों एवं ग्रामीणों को बाल विवाह के दुष्परिणामों, बच्चों के अधिकारों, बालिकाओं की शिक्षा एवं महिला सुरक्षा के संबंध में जागरूक किया गया। बाल विवाह से संबंधित वीडियो क्लिप की स्क्रीनिंग के माध्यम से इसके दुष्परिणामों की जानकारी दी गई। साथ ही महिलाओं के प्रति हिंसा, प्रताड़ना एवं दुर्व्यवहार की रोकथाम तथा सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन में जनसहभागिता के महत्व को बताया गया।

इस अवसर पर उपस्थित लोगों को महिला एवं बाल सुरक्षा तथा आपातकालीन सहायता से संबंधित हेल्पलाइन नंबरों 112, 1090, 181, 1098, 1076, 1930, 108 एवं 102 की जानकारी दी गई। मिशन शक्ति केन्द्रों एवं संबंधित थानों के सीयूजी नंबर उपलब्ध कराने के साथ जागरूकता पम्पलेट वितरित किए गए। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा आर्थिक स्वावलंबन एवं आजीविका के अवसरों के संबंध में भी जानकारी दी गई।

मिशन शक्ति फेज-6.0 के अंतर्गत आयोजित यह अभियान बाल विवाह की रोकथाम, बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा, महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने तथा उन्हें शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। महोबा पुलिस द्वारा संबंधित विभागों एवं सामाजिक संस्थाओं के समन्वय से जनपद में सुरक्षित एवं जागरूक सामाजिक वातावरण के निर्माण हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

